न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/04/2021	2021/155	08.10.2021	10.03.2025

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ अलवर जर्ये विकास अधिकारी। निगरानीकार

बनाम

1. सतीश चंद झालानी पुत्र गिर्राज प्रसाद झालानी, निवासी ग्राम लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।
2. ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जरिये सचिव/सरपंच राज0।

अनिगरानीकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2011 जिसके द्वारा गैरनिगरानीकार सं0 01 को गैरनिगारानीकार स0 02 द्वारा ग्राम लक्ष्मणगढ में मकान का पट्टा गलत प्रकार से जारी किया गया है।

उपस्थितः—

01. श्री अशोक शर्मा, श्री पंकज शर्मा —वकील निगरानीकार
02. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल —वकील अनिगरानीकार सं0 01

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ पंचायत समिति लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर आदेश दिनांक 06.06.2011 जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गलत तरीके पर नियम विरुद्ध खिलाफ कानून पट्टा जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के समक्ष गैरनिगरानीकार सं0 01 सतीश चंद झालानी ने दिनांक 05.01.2011 को एक प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रति दो एवं भूमि संबंधी कागजात पट्टा लेने बाबत गैरनिगरानीकार संख्या 02 के यहां प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 20.01.2011 को उज्रदारी नोटिस जारी किये गए। जिसमें किसी ने उज्र नही किया इस पर ग्राम पंचायत के पंचो द्वारा दिनांक 21.02.2011 को मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट मे पंचों ने लिखा कि मौके पर प्रार्थी का पुख्ता मकान बना हुआ है एवं इस मकान में प्रार्थी अपने परिवार सहित रहता है। यह मकान प्रार्थी का बहुत ही पुराना है एवं इस मकान पर प्रार्थी का 45 वर्ष पूर्व से कब्जा है। इस मकान पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रार्थी का बरंग सुर्ख नक्शा मुताबिक पट्टा जारी करने की सिफारिश की जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सतीश चंद झालानी पुत्र गिर्राज प्रसाद झालानी को पूर्व से पश्चिम तरफ उत्तर 41 फुट, गली 3 फुट शामलाती तरफ दक्षिण 41 फुट, चिरंजी लाल सैनी का मकान, उत्तर से दक्षिण तरफ पूर्व 22 फुट सीमेंट सडक सरकारी एवं तरफ पश्चिम 22 फुट, गली 2 फुट स्वयं की जिसका कुल क्षेत्रफल 22 गुना 41—902 वर्गफुट बनता है। जिसका पट्टा फीस 200/रूपये पंचायत कोष में जमा कर देने के बाद नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश दिये। जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। गैरनिगरानीकार संख्या 02 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूद्ध जारी किया है तथा पंचायतीराज

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

अधि0 व राजस्थान पंचायतीराज नियमों की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुये पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय जिस मकान बावत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की ही कोई जानकारी की उक्त भूखण्ड पर जो निर्माण है, वह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नही ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है। यह भी अपूर्ण है तथा उसने मौका से संबंधित कोई तथ्य मकान के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख किया गया है और ना ही जहां मकान स्थित है उस मौहल्ले पडौस का कोई नाम ही अंकित किया गया है तथा मकान के आस पास सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन नही किया गया है कि अमुक मकान के निर्माण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली में तो नही किया गया है। मकान का पट्टा जारी करने हेतु जो उजदारी नोटिस निकाला गया है उसमें भी भूखण्ड की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गल्ली का कोई उल्लेख नही किया है ताकि उजदार मकान/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उजादारी करने या करने की स्थिति पर विचार कर सके ना ही उजदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलों व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बावत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उजदारी नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिपोर्ट का हवाला ही अपने विवादित आदेश में लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी करते हुये जारी किया गया है जिस को मान्य करार नही दिया जा सकता है। उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उस जांच में भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई जिस जांच में पाया गया कि उक्त भूखण्ड नारायण लाल पुत्र हरबक्स वैश्य निवासी बिचगांव से दिनांक 16.10.1969 को असरफी देवी/गिर्राज प्रसाद वैश्य निवासी जावली द्वारा पंजीकृत बयनामा से क्रय किया गया है। आवेदक सतीश चंद झालानी पुत्र गिर्राज प्रसाद झालानी को पट्टा जारी किये जाने का दिनांक 06.06.2011 को फैसला लिया गया जिसका पंचायत बैठन कार्यवाही में अंकन नही है इस प्रकार पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये उक्त पट्टा जारी किया गया है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97(1) में निगरानी बाबत कोई मियाद नहीं है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी लोकायुक्त के पत्र दिनांक 30.03.2017 से हुई जिससे यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि नियमन पट्टा आदेश दिनांक 06.06.2011 को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमायें। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनिगरानीकारों की विधिवत तामील पत्रावली में संलग्न है। अनिगरानीकार संख्या 01 जरिये अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

पत्रावली में उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील निगरानीकार द्वारा अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पट्टा दिनांक 06.06.2011 का निर्णय ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं दिया गया है। निर्णय सरपंच द्वारा बाला–बाला व गलत तरीके से दिया गया है। धारा 97 में सरकार द्वारा स्वयं प्रसंज्ञान लिया जा सकता है, हित होना आवश्यक नहीं है। अगर अनियमितताएं हुई हैं तो सुना जा सकता है। धारा 97 में कोई लिमिटेशन भी नहीं है। सन् 2019 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि यदि पट्टा अवैधानिक है तो डिले के आधार पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायत फाईल से काम नहीं करेगी, बैठक रजिस्टर के आधार पर ही पट्टा जारी होगा। पंचायत समिति का हित अहित नहीं है, हमारा अनियमितताएं रोकने का अधिकार है। पंचायत समिति स्वयं का निर्णय है कि वह अपील सुने या रिविजन करे। जैसा आदेश आया उसी के आधार पर रिवीजन की है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा निरस्त किया जावे।

वकील अनिगरानीकार संख्या 1 ने वकील निगरानीकार द्वारा किये गये तथ्यों को नकारते हुए कथन किया कि पंचायत के बैठक रजिस्टर में पट्टे का निर्णय नहीं हुआ है। पत्रावली चालू

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

हुई, ऑर्डरशीट कोरम में रखी गयी। उक्त विवादित आराजी अनिगरानीकार संख्या 1 द्वारा दिनांक 16.10.1969 को जरिये बयनामा खरीद की गई, जिसका रजिस्ट्री के साथ नक्शा लगा है। विवादित आराजी कुम्हार मौहल्ला के बीच आबादी में स्थित है जिसका पट्टा दिनांक 06.06.2011 को जारी हुआ। पट्टा पंच व सरपंच के हस्ताक्षर/फैसले से जारी हुआ। लोकायुक्त को क्या रिपोर्ट भेजी अथवा नहीं भेजी, इस पर निर्णय नहीं लेवें। पंचायत समिति के बीडीओ ने अकेले रिवीजन दायर की है। पंचायत समिति की स्टैण्डिंग कैमेटी निर्णय नहीं है। पंचायत समिति को धारा 61 में स्वयं अपील सुनने का अधिकार है। पंचायत समिति के बीडीओ ने स्टैण्डिंग कैमेटी के समक्ष अपील दायर की है। पंचायत समिति का इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया, बीडीओ रिविजन दायर नहीं कर सकते हैं। चूंकि पंचायत समिति का इंटरेस्ट जाहिर नहीं हुआ इसलिए अपील मेन्टेनेबल नहीं है। उक्त विवादित आराजी पर मैं सन् 1969 से काबिज हूं। निगरानीगार द्वारा अपील 6 वर्ष के बाद पेश क्यों की गई है? इसका कोई युक्तियुक्त जवाब पेश नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक अनिगरानीकार संख्या एक ने अपने समर्थन में 2018-19 RRT 125, 2015 DNJ RAJ 1853, 2020 RHC Page 397, 2012(2) DNJ Page 602, 2008 DNJ 735, 2020 CJ RAJ 397 न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील उपक्ष की बहस पर चिन्तन–मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत द्वारा अनिगरानीकार सं0 1 सतीश चंद झालानी पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद के पट्टा मिसल का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त भूखण्ड नारायण पुत्र हरबक्श वैश्य निवासी बिचगांवा से दिनांक 16.10.1969 को श्रीमती असरफी देवी/गिरराज प्रसाद वैश्य झालानी निवासी जावली द्वारा पंजीकृत बयनामा से क्रय किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी पर अनिगरानीकार संख्या 1 द्वारा दिनांक 16.10.1969 से लगातार काबिज रहा है। अनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा दिनांक 05.01.2011 को पट्टे हेतु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में पेश किया। जिसके संबंध में पंचायत द्वारा दिनांक 20.01.2011 को उज्रदारी नोटिस जारी किया गया। जिसमें किसी के भी द्वारा कोई उज्रदारी पेश नहीं की गई। मकान पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अनिगरानीकार संख्या 01 द्वारा पट्टे की फीस भी पंचायत कोष में जमा करवाई है। पट्टा सरपंच ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ (अलवर) के हस्ताक्षर से विधिवत जारी हुआ है। ग्राम पंचयात द्वारा पट्टा जारी करने में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। पत्रावली में संलग्न रिकार्ड का मिलान करने पर यह पाया गया कि वकील निगरानीकार द्वारा निगरानी के समर्थन में कोई विधिक रिकॉर्ड या साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही पत्रावली पर कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश किया है। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार का निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 06.06.2011 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)